

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 34/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस. एम. लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री छुट्टन लाल मीणा पुत्र श्री गिराज प्रसाद मीणा
निवासी :- 136, हीरापुरा, कोटखावदा, चाकसू, जिला जयपुर।
2. श्रीमती बाली मीणा पत्नी श्री छुट्टन लाल मीणा
निवासी :- मकान नम्बर 08, पिपली वाली ढाणी, हीरापुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
3. श्री हनुमानसहाय मीणा पुत्र श्री कन्हैयालाल मीणा
निवासी :- अयजराजपुरा देहलाला, चाकसू, जिला जयपुर।
एवं जयराम का बास, अनंतपुरा, तहसील जयपुर।
4. श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री बिरदाराम मीणा
निवासी :- हीरापुरा, देहलाला, चाकसू, जिला जयपुर।
एवं ठिकारिया मीणा, श्री रघुनाथपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



Application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री नरेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 10.08.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.09.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री छुट्टन लाल मीणा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 09, संकल्प संख्या 05 दिनांक 29.05.2017 ग्राम हीरापुरा, ग्राम पंचायत रामनगर, पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर क्षेत्रफल 164.88 वर्गगज को बन्धक रख कर 05,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.02.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इन्सुएड समसद्व का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज संप्रिस्टर किया गया। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मलीनानि अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में दिनांक 20.02.2021 को अधिसूचना नई दिल्ली 13 दिनांक 20/15 से क्रम संख्या 34 पर सरकारी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अग्रार्थीगमों को 05,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अग्रार्थीगम ने उम्मीद वर्मित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अग्रार्थीगम का ऋण खाता एन सी ए धारित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि नव ब्याज कुल 5,13,000/- रुपये जमा कराने हेतु अग्रार्थीगम को दिनांक 26.02.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अग्रार्थीगम द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अग्रार्थीगम द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अंतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में श्री सुहृद लाल मीणा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 09, संकल्प संख्या 05 दिनांक 29.05.2017 ग्राम हीरापुरा, ग्राम पंचायत रामनगर, पंचायत समिति चाकसु, जिला जयपुर क्षेत्रफल 164.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/ पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



40
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर